दिनांक 25.02.2021 को उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की सम्पन्न हुई "विद्या परिषद्" की 10वीं बैठक का संशोधित कार्यवृत्त।

दिनांक 25 फरवरी, 2021 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून के कॉन्फ्रेन्स हाल में विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की 10वीं बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नांकित मा0 सदस्यगण एवं अन्य आमंत्रित सदस्य उपस्थित थेः–

(क) कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय– अध्यक्ष।

(ग) विश्वविद्यालयों के ऐसे पांच प्राचार्य जो कार्यपरिषद् के सदस्य न होः

1) Prof. K.K.S Mer, Director, IT, Gopeshwar (Online)
2) Prof. Amit Agrawal, Director, IT, Tankpur
3) Prof. S.P. Gupta, Director General, COER, Roorkee (Online)
4) Prof. Sharafat Ali, Principal, Siddharth Law College, Dehradun
5) Prof. Shivanand Patil, Director, SDBIT, D.dun

आमंत्रित सदस्य :

1) Dr. Nishant Saxena, Dean Academics, Tula's Institute, Dehradun
2) Dr. Yashpal Singh Negi SIHMCT New Tehri
3) Dr. P.K. Arora, Controller of Exams, UTU, Dehradun.
4) Mrs. Kavita Nabiyal, Finance Controller, UTU, Dehradun.

कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून– पदेन सचिव।

सर्वप्रथम बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व कुलसचिव द्वारा विद्या परिषद् के नामित सदस्यों का स्वागत किया गया। मा0 कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षिक, प्रशासनिक गतिविधियों इत्यादि पर संक्षेप में बताया गया तथा पूर्व में आने वाली समस्याओं, उनके निदान एवं भविष्य की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला गया। कुलसचिव द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2020 को सम्पन्न हुई नवंम बैठक के एजेण्डा पर कृत कार्यवाही से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया। तदोपरान्त मा0 सदस्यों के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

बिन्दु सं0 :–01

(क) विद्या परिष्द की नवम् बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन/निर्णय /सुझाव ।

(ख) विद्या परिषद की दिनांक 28–07–2020 को संपन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना।

नवंम बैठक में लिये गये निर्णय	कृत कार्यवाही
बिन्दु संख्याः—09— 02 **विश्वविद्यालय में छात्र प्रवेश हेतुः** **(क)** यू0के0एस0ई0ई0/जे0ई0ई मेन्स परीक्षा अनुसरण करते हुए प्रत्येक वर्ष माह जून–जुलाई में आयोजित की जाती थी किन्तु कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण उक्त परीक्षा आयोजित करना सम्भव नही होगा। कोविड–19 के कारण लगे प्रतिबन्धों, सोशियल डिस्टेंशिंग इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय विनियमावली की धारा 5.02–2(ठ) के अनुक्रम में वर्ष 2020–21 में छात्र–छात्राओं का प्रवेश अर्हक अंक मैरिट लिस्ट (इण्टरमीडिएट 10+2 Diploma) के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव चर्चा एवं अनुमोदनार्थ । **(ख)** Post Graduate (PG) में प्रवेश GATE परीक्षा मेरिट एंव Qualifying परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश दिये जाने पर चर्चा एंव अनुमोदन। **विनिश्चयः 9.02 (क)** ''वर्ष 2020–21 प्रवेश हेतु Eligible Qualification (जैसे की 12th, या डिप्लोमा) के Relevant विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाया जाए'' यह (सदय स्थिति दृष्टिगत विद्या परिषद द्वारा) अनुमोदन किया गया। यह विद्यापरिषद् का निर्णय प्रवेश हेतु Counselling Board को Communicate किया जाए। **(ख)**–एम0टैक0 प्रवेश हेतु कार्यवाही पूर्वानुसार (वर्ष 2019–20) की जायेगी। एम0बी0ए0 प्रवेश हेतु कोविड–19 सदय स्थिति दृष्टिगत Qualifying Degree में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाने का अनुमोदन किया गया।	**समयानुसार कार्यवाही की गई।**
बिन्दु संख्याः—09— 03 आगामी परीक्षाओं हेतु प्राप्त सुझावों के आधार पर चर्चा एंव निर्णय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त D.O. NO. F.1-1/2020 (Secy) दिनांक 06 जुलाई, 2020 के अनुसार एवं ए0के0टी0यू0 लखनउ द्वारा निर्गत आदेशानुसार। **विनिश्चयः 9.03** – परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु सुझाव देने के लिए निम्न समिति गठित की गयीः (1) प्रो0 बी0एम0 मिश्रा, बी0टी0के0आई0टी0 द्वाराहाट। (2) प्रो0 अमित अग्रवाल, ए0पी0जे0ए0के0आई0टी0, टनकपुर। (3) प्रो0 संदीप विजय, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून। यह समिति परीक्षा नियंत्रक को समयबद्ध रूप से एक सप्ताह में निम्न बिन्दुओं पर सुझाव देगीः (1) Passing out Batches की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु। (2) Intermediate Years के छात्रों को UGC (दिनांक 29/04/2020, पृष्ट 5,6 एवं अध्यतन Revised Guidelines) सुझावानुसार पिछले सेमेस्टर के Performance एवं इस सेमेस्टर के In semester performance आधार पर नये सत्र के Online Classes में शामिल होने की परमिशन हेतु। **यह समिति द्वारा प्राप्त सुझाव त्वरित कार्यान्वयन के लिए परीक्षा नियंत्रक को (कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त) अधिकृत किया गया।**	**निर्देशानुसार प्रवेश हेतु परीक्षा नियंत्रक द्वारा संस्थानों को निर्देशित किया गया एवं कार्यवाही की गई।**

बिन्दु संख्या:–09– 04विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2020–21 के अकादमिक कलेंण्डर एवं परीक्षा आयोजन पर चर्चा एंव निर्णय। **विनिश्चय: 9.04** – सलंग्नक 3 में शामिल अकादमिक Calendar Tentative है। परीक्षा नियंत्रक इस Calendar में शासन द्वारा निर्गत आदेशों परिस्थिति दृष्टिगत उचित बदलाव करने हेतु (कुलपति महोदय अनुमोदन उपरान्त) अधिकृत।	कोविड–19 के दृष्टिगत परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार संस्थानों को अवगत कराया गया।
बिन्दु संख्या:–09– 05(A) विभिन्न बी0ओ0एस0 द्वारा अनुमोदित Revised Scheme of Exams एवं Syllabii पर चर्चा एवं अनुमोदन। (B) बी0एच0एम0सी0टी0 पाठ्यक्रम में Internship 4th सेमेस्टर एवं 5th सेमेस्टर में करने हेतु सम्बन्धित बी0ओ0एस0 द्वारा दी गयी स्वीकृति अनुमोदनार्थ। **विनिश्चय: 9.05** (A) – सलंग्नक 4 में दर्शाए गये विभिन्न पाठ्यक्रमों की Schemes अनुमोदित। B.Tech. Computer Science and Engineering शाखा के Specializations B.Tech. Information Technology शाखा को भी लागू होंगे। सभी (आठ) Specializations अन्य शाखाओं के छात्रों को भी छात्र पात्रता (जिसका निर्धारण विश्वविद्यालय के Guidelines अनुसार संस्थान निदेशक द्वारा अनुमोदन पर विश्वविद्यालय करेगा) के अधार पर Minor के रूप में ले सकते है। सम्बन्धित Guidelines बनाये जाने हेतु निम्न समिति गठित की जाती है: (1) प्रो0 जी0एस0 तोमर, निदेशक, बी0आई0ए0एस0, भीमताल। (2) डॉ0 निशांत सक्सेना, डीन एकेडेमिक, तुलॉज इन्स्टीट्यूट, देहरादून। (3) डॉ0 ब्रजमोहन सिंह, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रूड़की। यह समिति एक सप्ताह में Guideline तैयार कर परीक्षा विभाग को पेश करेगी। परीक्षा नियंत्रक (कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त) इन Guidelines को लागू करने हेतु अधिकृत। (B) – बी0एच0एम0सी0टी0 पाठ्यक्रम में Internship 4th Semester अथवा 5th Semester में करने हेतु Chairman, BOS, HMCT के अनुमोदन को विद्यापरिषद् द्वारा स्वीकृति दी गयी।	(A) कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत है तदनुसार 10वीं बैठक हेतु प्रस्ताव रखा गया है। (B) परीक्षा नियंत्रक द्वारा कार्यवाही की गई।
बिन्दु संख्या:–09– 06 विश्वविद्यालय सत्र 2020–21 की ऑनलाईन कक्षाओं हेतु तथा विद्या परिषद् की 8.16 एवं कोविद–19 सध्यस्थिति दृष्टिगत चर्चा एंव निर्णय। विश्वविद्यालय की ऑनलाईन कक्षाएं बिन्दु 9.03 के आधार पर Online कक्षाओं में शामिल होने के लिए पात्र छात्रों के लिए 04 अगस्त, 2020 से विभिन्न संस्थान अपने स्तर पर शुरू करने हेतु विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदित। विद्यापरिषद् बिन्दु 8.16 अनुसार University Management Software (UMS) और इसके साथ कोविड–19 सदय स्थिति दृष्टिगत Integrated Learning Management Software (LMS) लागू करना उचित है। Online Platform विश्वविद्यालयों के सभी संस्थानों को समायोजित करते हुए Common (सिंगल) Online Platform (UMS एवं LMS Integrated) नियोजित करना उचित होगा। इस तरीके के Platform पर कुछ निदेशकों ने कई वेण्डर्स के प्रपोजल्स पर ट्रायल लिये हुए है। अतः निम्न समिति किसी एक प्लेटफार्म समयबद्ध तरीके से निश्चित कर उस प्लेटफार्म को ट्रायल हेतु संस्थानों को Online Classes की शुरूआत के पहले उपलब्ध कराने हेतु विद्यापरिषद् द्वारा गठित की जाती है: (1) प्रो0 ए0एस0 विद्यार्थी, निदेशक, एस0आई0टी0, पिथौरागढ़। (2) प्रो0 यशपाल सिंह नेगी, निदेशक, एस0आई0एच0एम0टी0, नई टिहरी। (3) प्रो0 आर0पी0एस0 गंगवार, निदेशक, महिला प्रौ0 संस्थान, देहरादून।	कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई संस्थान द्वारा माध्यमों से ऑनलाईन प्रशिक्षण संपादित कराया जा रहा है।

(4) प्रो0 संदीप विजय, निदेशक शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजी0, देहरादून। (5) प्रो0 जी0एस0 तोमर, निदेशक, बी0आई0ए0एस0, भीमताल, नैनीताल।	
बिन्दु संख्याः–09– 07 संस्थाओं के शिक्षक एंव निदेशक पदों की चयन समिति पर विशेषज्ञों को नामित करने हेतु चर्चा एवं निर्णय। **विनिश्चयः 9.07** – AICTE Gazette Notification No. 82 दिनांक 01 मार्च, 2019 के अनुसार सम्बद्ध एवं स्वायत्त संस्थानों में विभिन्न चयन समितियों की Constitution दी हुई है। कुलपति द्वारा इन चयन समितियों हेतु विषय विशेषज्ञ नामित करने होते है। गुणवत्ता बनायें रखने हेतु कुलपति द्वारा Subject Experts का नामांकन UGC category –1 University/ Institutes &/or NIRF ranking में 1 से 100 तक की Universities/Institutes के कार्यरत/रिटायर्ड Professors/Associate Professors इनमें से नामित करने का विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन दिया गया।	**संस्थानों द्वारा प्राप्त अनुरोध के कम में कार्यवाही जारी है।**
बिन्दु संख्याः–09– 08 वर्ष 2018–19 व 2019–20 उपाधि पूर्ण कर चुके शोधार्थियों को मूल पी0एच0डी0 उपाधि प्रदान किये जाने हेतु सूची पर चर्चा एंव अनुमोदन। **विनिश्चयः 9.08** – निरस्त माना जाए क्यों की वह 9.12 में पुनः लाया गया है।	कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।
बिन्दु संख्याः–09– 09 पी0एच0डी0 अध्यादेश 2020 यू0जी0सी0 Guideline अनुसार संशोधित अध्यादेश (पी0एच0डी0 अध्यादेश 2020) पर चर्चा एंव निर्णय। **विनिश्चयः 9.09** – पी0एच0डी0 अध्यादेश ड्राफ्ट पेज–01 बिन्दु 1.1 निम्नानुसार पढ़ा जाएः Candidates for admission to the Ph.D. programme shall have relevant Master's degree in Engineering/Technology for programmes in Engineering/Technology, MCA for Computer Applications, M.Pharma for Pharmacy, M.H.M. for Hospitality Management, MBA for Management, and LLM for Law with minimum of 60% of marks at Master's degree from duly recognized UGC University, a deemed to be University, or any other University within India, or any equivalent from abroad. ड्राफ्ट पेज–1 बिन्दु 1.3 पैरा 3 अंतिम पार्ट पढ़ा जाए कीः Engineering/Technology/Pharmacy/Management/Law shall be decided by the interview board constituted according to the ordinance. ड्राफ्ट में कतिपय Minor Ammendments किये जाने है, जैसे किः– Page 5, 4 UTU-UG&PG पेज–06 प्रथम लाईन पढ़ी जाए की "(Mentioned at- 4.1.2)" पेज–08 Item 7.5 Table के लास्ट लाईन में प्रथम भाग पढ़ा जाए की "Total Credits/Marks" विद्यापरिषद् ऐसे कतिपय Minor Ammendments/Typos अध्यादेश में करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत करती है।	कार्यवाही जारी है।

उपरोक्त के साथ डॉ0 ए0एस0 विद्यार्थी, डॉ0 यशपाल नेगी, डॉ0 संदीप विजय, डॉ0 जी0एस0 तोमर एवं अन्य सदस्यों के चर्चा उपरान्त पी0एच0डी0 अध्यादेश–2020 अनुमोदित।	
बिन्दु संख्याः–09– 10 विश्वविद्यालय के शोध उपाधि अध्यादेशोंनुसार कुछ छात्रों के शोध प्रबंध विदेश में भेजे जाने आवश्यक है कुछ और शोध प्रबंध गुणवत्ता निर्धारण हेतु विदेश में भेजे जाना वि0वि0 तय करता है। विदेश के शोध प्रबंध परिक्षकों का मानदेय अमरीकन डालर 500 (पॉच सो) दिया जाना उचित है यह मानदेय एवं विदेश में शोध प्रबंध भेजे जाने हेतु आवश्यक कुरियर का व्यय संबंधित शोध छात्र द्वारा वहन किये जाने हेतु चर्चा एवं निर्णय। **विनिश्चयः 9.10** – चर्चा उपरान्त अनुमोदित एवं कार्यान्वयन हेतु वित्तसमिति भेजा जाए।	**अगली वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।**
बिन्दु संख्याः–09– 11 उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठयकमों की वर्ष 2018 तक के छात्रों की उपाधि/डिग्री देना प्रस्तावित है। **विनिश्चयः 9.11** – प्रस्ताव स्वीकृत। परीक्षा नियंत्रक एवं कुलसचिव वर्ष 2019 तक Passed out छात्रों की पदवी प्रदान करने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करें।	**2018 की उपाधि /डिग्री तैयार कर वितरित की जा रही है तथा 2019 की उपाधि/डिग्री हेतु मुद्रण की कार्यवाही की गयी है।**
बिन्दु संख्याः–09– 12 विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018, 2019 व 2020 अतिथि तक प्रदान की गयी शोध उपाधियों का अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तावित । **विनिश्चयः 9.12** – अनुमोदित।	कार्यवाही आपेक्षित नही है।
बिन्दु संख्याः–09– 13 विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में पी0एच0डी0 कोर्स हेतु आयोजित रिसर्च मैथोडॉलोजी की कक्षाओं में प्रतिभागी शोधार्थियों हेतु दिनांक 23–02–2020 को आयोजित लिखित परीक्षा परिणाम के अनुमोदनार्थ **विनिश्चयः 9.13**– अनुमोदित।	कार्यवाही आपेक्षित नही है।
बिन्दु संख्याः–09– 14 (A) विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0 कोर्सवर्क की अनुपूरकता हेतु समय–समय पर आयोजित State of Art Seminar में प्रदत्त प्रस्तुतिकरण अंको के अनुमोदनार्थ। (B) यू0जी0सी0 नियमानुसार पी0एच0डी0 शोध छात्रों के रिर्सच मेथोडोलॉजी के कोर्स के ऑफ लाईन मोड में आवश्यक है कुछ छात्रों ने यह रिर्सच मेथोडोलॉजी के कोर्स के (ऑफ लाईन मोड में) नही किया है एवं पी0एच0डी0 डिग्री हेतु यह अवश्यक है। कोविड–19 सध्यस्थिति दृष्टिगत (एवं एम0एच0आर0डी0गाईड लाईनअनुसार) कक्षाऐं संस्थानों/विश्वविद्यालय में कक्षा गृह में नहीं लगायी जा सकती अतः केवल आगामी सत्र के लिए यह रिर्सच मेथोडोलॉजी कोर्स आन लाईन कक्षाऐं एवं ऑन लाईन मूल्यांकन कराये जाने हेतु चर्चा एवं अनुमोदन। **विनिश्चयः 9.14** (A) – अनुमोदित। (B) – चर्चा उपरान्त 2020–21 के लिए अनुमोदित।	**लागू किया गया है कार्यवाही आपेक्षित नही है।**
बिन्दु संख्याः–09– 15 पी0एच0डी0 छात्रों के प्रवेश हेतुः यू0जी0सी0 द्वारा निर्गत नियम व शर्तो के अनुरूप एवं नवीनतम पी0एच0डी0 अध्यादेश 2020 के अनुसार ही विश्वविद्यालय में पी0एच0डी0 प्रवेश हेतु चर्चा एवं निर्णय।	निर्देशानुसार कार्यवाही जारी है।

विनिश्चयः 9.15– पी0एच0डी0 छात्र प्रवेश हेतु प्रथम संस्थानों द्वारा किसी विषय में किस Guide के पास कितनी Vacancies है यह संकलन करने के बाद प्रवेश हेतु पी0एच0डी0 अध्यादेश–2020 अनुसार कार्यान्वयन किये जाने के विद्यापरिषद् द्वारा निर्देश दिये गये।	
बिन्दु संख्याः–09– 16 विश्वविद्यालय में करायी जा रही विभिन्न विषयों में पी0एच0डी0 हेतु सीटों का निर्धारण किये जाने के संबंध में चर्चा। **विनिश्चयः 9.16** –विनिश्चय 9.15 में प्राप्त Data अनुसार पी0एच0डी0 प्रवेश हेतु विषयवार छात्र संख्या निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये।	**निर्देशानुसार पी0एच0डी0 अनुभाग द्वारा कार्यवाही जारी है।**
बिन्दु संख्याः–09– 17 विद्या परिषद की अनुमति हेतु एम0टेक0 छात्रों के प्रकरणः (अ) एम0टेक0 विभाग द्वारा 03 छात्रों के एम.टेक. फाइनल थिसिस जमा होना रूके हुए है। एम.टेक अर्डिनेश बिन्दु 4.2 द्वारा ऐसे छात्रों को अधिकतम 4 वर्ष की समयावधि हेतु विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित है। पिछली विद्या परिषद् 2018 में हुई थी तथा कोविड–19 सध्यस्थिति दृष्टिगत इसे अधिकतम 4 वर्ष के समयावधि समाप्ति बाद 1–अशीष चौधरी 2– जगमोहन प्रसाद 3–सुदर्शन सिंह राणा के एम.टेक. फाइनल थिसिस जमा कराये जाने हेतु अनुमोदनार्थ। (ब) M.Tech CSE छात्रा लातिका चौधरी ने वर्ष 2016 में प्रवेश लिया था एवं प्रथम 02 सेमेस्टर पूर्ण कर लिए है तृतीय सेमेस्टर स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण नहीं कर पायी इस छात्र को अब तृतीय (एवं चतुर्थ) सेमेस्टर पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर चर्चा एवं निर्णय। (A) –परिस्थितयों दृष्टिगत एवं छात्रहित दृष्टिगत अधिकतम तीन माह का समय इन छात्रों को थीसिस जमा करने हेतु देने की अनुमति विद्यापरिषद् द्वारा प्रदान की गयी। इसको आगे के लिए एवं अन्य प्रकरणों के लिए नियम नही माना जाए। (B) –छात्रा (सुश्री लतिका चौधरी) को M.Tech. 3rd एवं 4th Semester के Classes में समावेश हेतु (as a special medical case) अनुमोदित। छात्रा को एक वर्ष के अन्दर एम0टैक0 थीसिस Submit करना जरूरी है। इसको आगे के लिए एवं अन्य प्रकरणों के लिए नियम नही माना जाए।	**लागू किया गया है कार्यवाही आपेक्षित नही है।**
बिन्दु संख्याः–09– 18 विश्वविद्यालय में संचालित एम0फार्मा0 कोर्स में SC, ST एवं OBC वर्ग के छात्रों के प्रवेश/शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि SC, ST एवं OBC वर्ग के छात्र निम्न आय से प्रवेश लेते है तथा यह छात्र शिक्षण शुल्क जमा करने में असमर्थ रहते है। छात्रवृत्ति शिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद प्राप्त होती है जिस कारण छात्र शुल्क जमा नहीं कर पाते है। विश्वविद्यालय में शुल्क की मांग	**शासन स्तर से कार्यवाही की जानी है।**

सेमेस्टर के अनुसार किया जाता है उक्त कारण से एम0फार्मा0 में छात्र प्रवेश नहीं लेता जिससे सीटें रिक्त रह जाती है। छात्रों के प्रवेश/शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में एक नीति निर्धारण हेतु चर्चा एवं निर्णय। **विनिश्चयः 9.18**– कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय शासन द्वारा दिशा/निर्देश प्राप्त करे।	
बिन्दु संख्याः–09– 19 पी0एच0डी0 उपाधि हेतु Final Viva-voce परीक्षा ऑनलाईन मोड में कराने हेतु चर्चा एवं अनुमोदन। **विनिश्चयः 9.19** – चर्चा उपरान्त Ph.D Final viva voce exam एवं P.G. thesis final viva voce exam online कराने हेतु यू0जी0सी0 29/04/2020 बिन्दु 12 (Page 7) के अनुसार अनुमोदित।	**कार्यवाही की गई।**
बिन्दु संख्याः–09– 20 (A) सदय स्थिति में LLB/BALLB/BBALLB छात्रों की Bar Council of India के निर्देशों अनुसार परीक्षा लेने एवं परीक्षाफल घोषित करने हेतु डॉ0 शराफत अली, प्राचार्य, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, देहरादून द्वारा उठायें गये मुद्दों पर चर्चा एवं अनुमोदन। (B) सदय स्थिति में फार्मेसी छात्रों की Pharmacy Council of India के निर्देशानुसार परीक्षा लेने एवं परीक्षाफल घोषित करने हेतु डॉ0 शिवानन्द पाटिल, निदेशक, एस0डी0बी0आई0टी0, देहरादून द्वारा उठायें गये मुद्दों पर चर्चा एवं अनुमोदन। **विनिश्चयः 9.20 – विनिश्चय 9.03 में समाविष्ट। डॉ0 शराफत अली, प्राचार्य, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज एवं डॉ0 शिवानन्द पाटिल, निदेशक, एस0डी0बी0आई0टी0, देहरादून बिन्दु 9.03 के विनिश्चय में तय कमेटी को समयबद्ध तरीके से सुझाव दें।**	**(A) कार्यवाही की गई।** **(A) कार्यवाही की गई।**
बिन्दु संख्याः–09– 21 प्रो0 शराफत अली, प्राचार्य, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, देहरादून द्वारा प्राप्त सुझावनुसार LLB/BALLB/BBALLB पाठ्यक्रम में Consumer Protection ACT- 1986 अब Consumer Protection ACT- 2020 पढा जाने हेतु चर्चा एवं निर्णय। **विनिश्चयः 9.21** – चर्चोपरान्त अनुमोदित। डॉ0 शराफत अली यह बदलाव पाठ्यक्रम में करके Revised Syllabus विश्वविद्यालय को एक सप्ताह में Submit करे। परीक्षा नियंत्रक तद्नुसार Revised Syllabus वर्ष 2020–21 को लागू करने हेतु (कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त) अधिकृत।	**सुझाव प्राप्त हो गये है तद्नुसार 2021–22 हेतु कार्यवाही की जायेगी।**
बिन्दु संख्याः–09– 22 प्रो0 शराफत अली, प्राचार्य, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, देहरादून द्वारा प्राप्त सुझावनुसार उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में विधि (लॉ) शोध उपाधि (Ph.D) पाठ्यक्रम हेतु छात्रों को प्रवेश देने हेतु चर्चा एवं अनुमोदन। **विनिश्चयः 9.22** – कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय शासन द्वारा दिशा/निर्देश प्राप्त करें।	**प्रो0 शराफत अली, प्राचार्य, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, देहरादून से पूर्ण प्रस्ताव मांगा जा रहा है तद्नुसार शासन को प्रेषित किया जायेगा।**

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। **बिन्दु संख्याः–09– 23** –राज्य होटल मैनेजमेन्ट संस्थान, नई टिहरी द्वारा एम0एच0एम0 पाठ्यक्रम 30 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2020–21 से शुरूआत करने हेतु। **विनिश्चयः 9.23** –विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रकिया की पूर्तता होने पर एम0एच0एम0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।	कार्यवाही की गयी।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में निम्न निर्देश दिये गयेः–

(1) सत्र 2021–22 हेतु यू0के0एस0ई0ई0ई0 की परीक्षा आयोजन करने हेतु शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ की जाए इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक को अवगत कराया गया।

(2)विधि लॉ शोध उपाधि हेतु पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम 2021–22 में प्रवेश करने हेतु डॉ शराफत अली पूर्व प्रस्ताव प्रस्तुत करेगें तद्नुसार विद्या परिषद् में प्राविधान/व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी यदि इस कम` शासन से अनुमोदन की आवश्यकता होगी तो कुलसचिव कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु संख्याः–10– 02

सम्बद्धता अनुभाग द्वारा आगामी सत्र 2021–22 से कानून में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (LLM) चार सेमेस्टरों में दो वर्ष की अवधि का किये जाने पर चर्चा।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विधि संस्थानों में एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम एक वर्ष हेतु संचालित किये जा रहे है। उक्त के सापेक्ष अवगत कराना है कि भारत का राजपत्र द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद् की अधिसूचना दिनांक 02 जनवरी 2021 के भाग– खण्ड 4 के अध्याय 02 के प्रस्तर संख्या 05 में **प्रवेश स्तर योग्यता और मास्टर डिग्री कोर्स की अवधि के (II)** पैरा में निम्न तथ्य अंकित हैः– **"कानून में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिससे मास्टर डिग्री हो रही है, संक्षेप में, एल0एल0एम0 को चार सेमेस्टरों में दो वर्ष की अवधि का होना चाहिए।"** प्रस्तर संख्या 06 में यह तथ्य भी अंकित है कि **"एक साल की मास्टर डिग्री समाप्त की जाए"** कृपया उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विधि संस्थानों में एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम को शैक्षिक सत्र 2021–22 से बी0सी0आई0 की अधिसूचना के अनुसार 02 वर्ष हेतु संचालित किये जाने हेतु विद्या परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः 10.02 – बैठक में डॉ शरफत अली द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, बी0सी0आई0 द्वारा इस आशलय का शपथ–पत्र दायर किया गया है कि 2021–22 हेतु 01 वर्ष तथा 2022–23 से 02 वर्ष का कोर्स होगा। इस संबंध में बी0सी0आई0से स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु अनुरोध किया जायेगा तथा बी0सी0आई0 से स्थिति स्पष्ट होने के उपरात अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु संख्याः–10– 03

अर्डिनेश के अनुसार/अन्य विश्वविद्यालय से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रों का स्थानान्तरण एवं विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के संघटक संस्थानों के छात्र–छात्राओं के आपस में स्थानान्तरण संबंधी चर्चा।

प्रस्तावः– इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा निम्न प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैः–

01–ग्लोकल विश्वविद्यालय उत्तर–प्रदेश से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध कालेज ऑफ इंजीनियरिंग रूडकी में मोबिन अंसारी पुत्र इरफान अंसारी एवं नदीम पुत्र इंद्रेश अंसारी को बी0टेक0 कम्प्यूटर सांइस ब्रान्च में द्वितीय वर्ष में अनुमति।

02–चंडीगढ विश्वविद्यालय मोहली से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, देहरादून में जैसलीन कौर पुत्री एम0पी0सिंह चावला को बी0फार्मा0 द्वितीय वर्ष में अनुमति।

03–पारूल विश्वविद्यालय बडोदरा से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध बिरला इंस्टीट्यूट, भीमताल में अनुष्का एम निगम पुत्री मनोज के निगम को बी0टेक0 कम्प्यूटर सांइस ब्रान्च द्वितीय वर्ष में अनुमति।

04–उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध सूरजमल संस्थान किच्छा से तुलाज संस्थान देहरादून में आयुषी अग्रवाल पुत्री श्याम सुन्दर अग्रवाल को बी0टेक0 कम्प्यूटर सांइस ब्रान्च द्वितीय वर्ष में अनुमति।

05–उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध सीमान्त संस्थान पिथौरागढ से विरला संस्थान भीमताल में पंकज सिंह कोरंगा को बी0टेक0 कम्प्यूटर सांइस ब्रान्च द्वितीय वर्ष में अनुमति।

06–उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध आई0टी0 गोपेश्वर संस्थान चमोली से सूरजमल संस्थान किच्छा में नीजर थरियाल पुत्र श्री नवीन चन्द्र थरियाल को बी0टेक0 कम्प्यूटर सांइस ब्रान्च द्वितीय वर्ष में अनुमति।

07–उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध बी.एस.आई.टी. रूडकी से कोर संस्थान रूडकी में राहुल कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार को बी0टेक0 ई0सी0ई0 ब्रान्च द्वितीय वर्ष में अनुमति।

अतःउपरोक्त ऑडिनेश के कम में बिन्दु 01,02,एवं03 का कार्योत्तर स्वीकृति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

बिन्दु 04,05,06, एवं 07 को विशेष परिस्थितियों में मा0 कुलपति के अनुमोदनोपरांत इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है कि विद्या परिषद् से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत।

विनिश्चयः 10.03–विद्या परिषद् द्वारा छात्र स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव को विशेष परिस्थिति में छात्रहित में अनुमोदन दिया गया कि भविष्य में स्थानान्तरण विशेष परिस्थिति में ही किये जाए एवं यथा समय विद्या परिषद् से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

<u>बिन्दु संख्याः–10– 04</u>

डॉ निशान्त सकसेना तुलाज इंस्टीट्यूट द्वारा बी0टेक0 पाठ्यकमों में नया पाठ्यकम जोड़ने हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर चर्चा।

प्रस्तावः–(A) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा संचालित विभिन्न अभियन्त्रिकी के पाठ्यकम में प्रस्तावित संशोधन बिन्दु निम्नवत् हैः–

(A) Plastic Polymer Engineering के अध्ययन का नया पाठ्यकम जोडा जाना प्रस्तावित है।

(B) Petroleum Engineering के अध्ययन का नया पाठ्यकम जोडा जाना प्रस्तावित है।

(C) LLB के 3 वर्ष एवं 5 वर्ष के Integrated कार्यक्रम में Mediation (With Concillatiion) को अनिवार्य मानकर शैक्षणिक सत्र 2020–21 में पढाया जाना है, तथा संभव हो तो 5वें सेमेस्टर में भी सामिल किया जाए।

(D) MBA के Integrated अध्ययन का पाठ्यक्रम जोडा जाना प्रस्तावित है।

(E) Mechnical Engineering (Specialization in Energy Engineering) के निम्नलिखित विषयों (Energy Audit,Energy Storage System waste Energy, Electrical System ,Energy Conservation & Management) के पाठ्यक्रम संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावः–(B) (1) Civil Engineering के अध्ययन का नया पाठ्यक्रम जोडा जाना प्रस्तावित है:–

BCET-304, BCET-602,

(2) Computer Science Engineering के अध्ययन का नया पाठ्यक्रम जोडा जाना प्रस्तावित है:–

BCSP-501, BCSP-502, BCSP-503, BCSP-506, BCSP-601, BCSP-602, BCSP-603, BCSP-606, BCSP-705, BCSP-801,

(3) Mechnical Engineering के अध्ययन का नया पाठ्यक्रम जोडा जाना प्रस्तावित है:–

BEMP-506, BMET-701, BMET-702, BMEP-702, BMEP-705, BMET-703,(A) BMET-703,(B) BMET-703,(C) BMET-704,(A) BMET-704,(B) BMET-704,(C) BMET-801, BMET-802, BMEP-802, BMET-802, (A) 802, BMET-802, (B) 802, BMET-802, (C) 802, BMET-803, (A) 802, BMET-803, (B)

विनिश्चयः 10.04– प्रस्ताव A में प्रस्तर A,B,C,D में अंकित पाठ्यक्रमों हेतु अवगत कराया गया कि वर्तमान सत्र में संशोधित पाठ्यचर्या के अनुसार संबंधित संस्थानों द्वारा अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है छात्र नये पाठयकम के अनुसार ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। उक्तानुसार विद्या परिषद् द्वारा 2020–21 से ही तत्काल विश्वविद्यालय की वेवसाईट पर अपलोड करते हुए संस्थानों को आवश्यक दिशा –निर्देश जारी करने का निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव 10–4 (A) – (E) व 10–4 (B) के अनुसार पाठयचर्या संशोधन हेतु एवं नये पाठयचर्या हेतु 2021–22 से अनुमोदन दिया गया तद्नुसार परीक्षा नियंत्रक को पाठयचर्या वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संस्थानों को अवगत राने एवं अंको आदि का निर्धारण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुमोदन दिया गया।

बिन्दु संख्याः–10– 05

Specialization &Miner Degree के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नियमानुसार संस्तुति अनुमोदन के लिये परिचर्चा।

प्रस्तावः– कमेटी द्वारा निम्नानुसार Specialization &Miner Degree प्रस्तुत किया गया है।

	Name of Course	Elgible Branches to adopt as Specialization	Eligible Branches to adopt as minor
1	Artifical Intelligence & Machine Learing	• ComputerScienceEngineering • Electronics&communication Engineering	• ComputerScienceEngineering • Electrical
2	Android	• ComputerScienceEngineering	

	Development		Engineering • Electronics& communication Engineering • Mechnical Engineering • Electrical Engineering • Electrical &Electronics Engineering • Chemical Engineering • Civil Engineering • Plastic &Polymer Engineering
3	Augmented Reality &Virtual Reality	• ComputerScienceEngineering	
4	Cyber Security	• ComputerScienceEngineering	
5	Data Science	• ComputerScienceEngineering	
6	Energy Engineering	• Electrical Engineering • Mechnical Engineering • Civil Engineering	
7	Internet of Things	• Electronics&communication Engineering • Electrical Engineering • ComputerScienceEngineering	
8	Robotics	• Electronics&communication Engineering • Mechnical Engineeing	

कृपया उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः 10.05—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों के कम में संबंधित प्रस्ताव पर विद्या परिषद् द्वारा निम्न अनुमोदन प्रदान किया गयाः—

(A) ब्रान्च से संबंधित Specialization के लिए संबंधित कोर्स में मूल डिग्री के साथ—साथ Specialization हेतु अलग से सार्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।

(B) ऐसे कोर्स जो ब्रान्च से संबंधित नहीं है उसके लिए मूल डिग्री के साथ—साथ संबंधित कोर्स हेतु Miner का सार्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।

(C) संबंधित Specialization &Miner हेतु 2020—21 से द्वितीय वर्ष एवं उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को यह सुविधा अनुमन्य होगी लेकिन छात्रों को संबंधित सार्टिफिकेट प्राप्त करने से पूर्व संबंधित कोर्स के 6 विषय उर्तीण करने होगे एवं प्रत्येक विषय हेतु 03 केडिट पार्व्इट अर्जित करने होगे कुल कम से कम 18 केडिट पार्व्इट अर्जित करने पर ही संबंधित कोर्स में Miner/ Specialization का सार्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।

(D) संबंधित संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित करेगी कि संस्थाओं के पास सबंधित कोर्स के लिए निर्धारित अवस्थापना सुविधा साज—सज्जा फैकल्टी आदि उपलब्ध हो इस अशय का शपथ पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा संस्थाओं द्वारा संबंधित Specialization &Miner हेतु उक्तानुसार प्रशिक्षण व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी। समिति की संस्तुति के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(E) छात्रों द्वारा Specialization &Miner की परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रति विषय अलग से शुल्क देना होगा।

संख्याः–10– 06

9.5-B के अनुसार कोविड के दृष्टिगत 4th सेमेस्टर की औद्योगिक प्रशिक्षण को 5th सेमेस्टर में कराने का अनुमोदन दिया गया था। कुकरेजा संस्थान के अनुरोध पर बी0एच0एम0 पाठ्यक्रम में पुनः औद्योगिक प्रशिक्षण को 4th सेमेस्टर में कराये जाने पर अनुमोदन।

स्तावः– अतः तद्नुसार बी0एच0एम0 पाठ्यक्रम में औद्योगिक प्रशिक्षण के 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षण को 4th सेमेस्टर में कराये जाने पर अनुमोदन।

विनिश्चयः 10.06–औद्योगिक प्रशिक्षण के 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षण को 4th सेमेस्टर में कराये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

न्दु संख्याः–10– 07

विश्वविद्यालय के पी0एच0डी0 समन्वयक द्वारा प्रस्तुत निम्न बिन्दुओं पर परिचर्चा।

(1) वर्ष 2016 तक पंजीकृत शोधार्थियों को प्रोविजनल पी0एच0डी0 डिग्री नियमानुसार प्रदान की गयी है उन सभी को मूल डिग्री प्रदान की जानी है। विगत वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जा सका जिस कारण पी0एच0डी पूर्ण कर चुके शोधार्थियों को उनकी मूल पी0एच0डी0 उपाधि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त हेतु चर्चा एवं अनुमोदन।

(2) पी0एच0डी0 के विभिन्न शोध पाठयक्रमों में कतिपय अनियमितताएं पायी गयी है जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा समिति गठित कर निर्णय लिये गये है। ऐसे सभी शोध छात्रों के सम्बन्ध में विचार– विमर्श एवं निर्णय।

(3) विश्वविद्यालय के पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में योग्य पर्यवेक्षक के सम्बन्ध में अनुमोदन। पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा समस्त संस्थानों से उक्त हेतु योग्य पर्यवेक्षकों की सूची मंगवायी गयी थी जिसमें कि संस्थानों द्वारा योग्य पर्यवेक्षकों का बॉयोडाटा उपलब्ध कराया गया था। जिसकी पी0एच0डी0 अनुभाग द्वारा स्क्रूटनी कर सूची तैयार की गयी थी। अतः पी0एच0डी0 छात्रों हेतु योग्य पर्यवेक्षक निर्गत किये जाने हेतु विचार विमर्श एवं अनुमोदन।

(4) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के ए0डी0एफ0स्कीम के अन्तर्गत रिसर्च सेन्टरों का चयन एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के स्क्रूटनी एवं चयन के सम्बन्ध में चर्चा एवं अनुमोदन।

(5) वर्ष 2016 तक पंजीकृत ऐसे शोधार्थियों को जिन्होने कोर्सवर्क की सभी शर्ते पूरी की है उन्हें कोर्सवर्क की अंकतालिका निर्गत किये जाने के संबंध में चर्चा एवं अनुमोदन।

प्रस्तावः– संबंधित बिन्दुओं पर पी0एच0डी0 समन्वयक द्वारा विस्तृत विवरण बैठक में प्रस्तुत करेगे, सम्यक् अनुमोदनाथ।

विनिश्चयः 10.07–(1)वर्ष 2016 तक पंजीकृत शोधार्थियों को प्रोविजनल पी0एच0डी0 डिग्री नियमानुसार प्रदान की गयी है उन सभी को मूल डिग्री प्रदान की जानी है उक्त हेतु परीक्षा अनुभाग को संबंधित छात्रों का विस्तृत डाटा डिग्री प्रिन्ट करवाये जाने हेतु संबंधित अनुभाग से उपलब्ध कराया जायेगा। सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2)पी0एच0डी0 छात्र अभिशेक गुप्ता, शोरभ तथा सुनील कुमार का प्रकरण विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया संबंधित प्रकरणों के अनुश्रवण हेतु मा0 कुलपति महोदय,

को समिति नामित किये जाने एवं तद्नुसार समिति के निर्णय पर आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 कुलपति महोदय, को अधिकृत किया गया है।

(3)पी0एच0डी0 समन्चकय द्वारा विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर प्रकरण को अगली विद्या परिषद् में रखे जाने पर संस्तुति प्रदान की गयी।

(4)विद्या परिषद् के मा0 सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि संबंधित प्रस्ताव विद्या परिषद् में रखने की आवश्यकता नहीं है।

(5)संबंधित छात्रों का डाटा नियमानुसार पी0एच0डी0 अनुभाग से परीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराने हेतु तथा तद्नुसार परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः–10– 08

आई0एम0ए0 सैन्य अकादमी द्वारा विभिन्न सार्टिफिकेट/डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा चलाने हेतु परिचर्चा।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमति से

विनिश्चयः 10.08–विश्वविद्यालय द्वारा आई0एम0ए0 सैन्य अकादमी द्वारा Post Graduate Diploma संचालित किये जाने हेतु यू0जी0सी0 एवं अन्य संस्थाओं से अकादमी द्वारा की गयी कार्यवाही/पत्राचार की कार्यवाही तथा संबंधित प्रपत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने पर, मा0 कुलपति महोदय को निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

अन्य बिन्दु सत्र 2021–22 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के निर्देशानुसार– Computer Science and Egngineering (Block Chain), Computer Science and Egngineering (Cyber Security), Computer Science and Egngineering (Artificial Intelligence&Machine Learing), Computer Science and Egngineering (Internet of Things) Computer Science and Egngineering एवं Computer Science and Egngineering(Data Science) संचालित करने हेतु डॉ निशान्त सकशेना द्वारा पाठचर्या प्रस्तुत की गई संबंधित पाठचर्या को इस आशय से स्वीकार किया गया कि संबंधित संस्थाएं जो उपरोक्त पाठ्यकमों को संचालित करना चाहती है तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/विश्वविद्यालय/शासन स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करगें तद्नुसार ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् 2021–22 हेतु संबंधित कोर्स के अनुमोदन प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कमेटी के परीक्षाणोंपरांत तथा शासन से NOC प्राप्त करने एवं सम्बद्धता की कार्यवाही पूर्ण होने पर ही संबंधित कोर्स की संबंधित संस्थाओं द्वारा 2021–22 से ही प्रारम्भ किया जायेगा।

इति, बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(आर0पी0गुप्ता)
कुलसचिव